जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
44/2016

अपील सूचना अधि. सं0 44/2016 अनवानी श्री नेमचन्द पुत्र श्री आत्माराम जाति सिन्धी निवासी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

16.11.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नेमचन्द उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री टेकचंद ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1– खाद्य विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी का पुराना रिकार्ड आरटीआई रिकार्ड किस सन से लेकर कब तक तलफ किया गया है आदेश की प्रति मय रिकार्ड तलफी सूची प्रमाणित प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाए।
2– जिला कलक्टर श्रीगंगानगर की अनुमति से जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर का समस्त तलफी रिकार्ड किस सन से लेकर कब तक तलफ करने की अनुमति दी गई है। जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का अनुमति पत्र मय रिकार्ड तलफी सूची प्रमाणित प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाए।
3– तलफ किया गया रिकार्ड व आरटीआई रिकार्ड का निरीक्षण सूचना के अधिकार में किया जा सकता है अथवा नही? सूचना देवें।
चाही गई सूचना के लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। सूचना समय अवधि में उपलब्ध करवाई जाए।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने रिट पेटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य का विवरण देकर पत्र क्रमांक 619 दिनांक 03.02.2016 से उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है जो सूचना के अधिकार में सूचना उपलब्ध न करवाकर जानबूझकर सूचना को दबाना या नष्ट करना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की उल्लंघना है इसलिए उन्हे दण्डित किया जावे और चाही गई सूचना उसे शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1354 दिनांक 21.03.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र क्रमांक 424 दिनांक 21.01.16 पर दर्ज किया गया है जिसका उत्तर समय अवधि में जरिये पत्रांक 619 दिनाक 03.02.16 को राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2–च व 7(9) के अन्तर्गत आवेदन पत्र निरस्त कर उसे सूचित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमाई जावे।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 619 दिनांक 03.02.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

कलेक्टर
गंगानगर

उक्त चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16-12-2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में ''क्यों'' प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पेटीशन संख्या 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचनांए प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है **और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए और कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित न करने वाली हो अर्थात कार्यालय कार्य को प्रभावित करने वाली नही होनी चाहिए।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को **किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए अपीलार्थी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का हकदार नही है। इस प्रकार जिला रसंद अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत अपीलार्थी का प्रा0 पत्र खारिज करने का जो आदेश दिया गया है वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 16.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर